न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—132/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/132)

1. लक्ष्मण पुत्र स्व0 श्री रूपा जाति जाट, निवासी ग्राम लेसवा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. विपुल यादव पुत्र श्री गोकुलचन्द, जाति यादव, निवासी 29, डिफेन्स कॉलोनी, फायसागर रोड, अजमेर।
2. कमला देवी पत्नि नैनाराम
3. गोपाल पुत्र नैनाराम
4. धर्मा पुत्र पूसा
5. पूना पुत्र पूसा
6. प्रकाश पुत्र नैनाराम
7. मंजूदेवी पुत्री नैनाराम
8. मदन पुत्र पूसा
9. शिवराज पुत्र नैनाराम
10. सुमन पुत्री नैनाराम
    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम लेसवा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।
11. सोरभ पुत्र गोकुल यादव जाति यादव, निवासी डिफेन्स कॉलोनी, फायसागर रोड, अजमेर।
12. सुनीता पत्नि सूरजप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी मकान नं0 कॉलोनी देवनगर शहर पुष्कर, जिला अजमेर।
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

14. तीजी देवी पत्नि रूपाराम
15. बिदामी देवी पुत्री रूपाराम
16. अंजू पुत्री रूपाराम
17. ओमप्रकाश पुत्र रूपाराम
18. सुपारी पुत्री रूपाराम
    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम लेसवा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2025 राजस्व वाद संख्या 4/2022

उपस्थितः—

1. श्री नवीन गुर्जर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शशि प्रकाश इन्दौरिया अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 11
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 13
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4, 6 से 10, 12, 14 से 18 अनुपस्थित
5. रेस्पोडेंट संख्या 5 व 8 स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः—09.04.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 4/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 20.01.2025 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 4/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षों की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4, 6 से 10, 12, 14 से 18 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवदेन किया कि हनुमान पुत्र नानू जो कि नाऔलाद फौत हुआ की पत्नि चूका पत्नि हनुमान की फौतगी के पश्चात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की द्वितीय सारणी के अनुसार प्रार्थी हनुमान पुत्र नानू की खातेदारी आराजी में प्रार्थी व प्रफोर्मा रेस्पोडेंट का हित व अधिकार निहित होने के आधार पर न्यायालय के समक्ष राईट टू अपील के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो० संख्या 1/वादी विपुल यादव द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसे विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों की विपरीत जाकर प्रार्थना पत्र दिनांक 16.5.2022 के माध्यम से अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में परिवर्तित कर अन्य पक्षकारों को संयोजित किया गया। रेस्पो० संख्या 1/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 अस्पष्ट विवरण के आधार पर प्रस्तुत किया गया था जिसमें रेस्पो० संख्या 1 द्वारा कहीं भी वादग्रस्त आराजी में अपनी खरीद शुदा विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नामांकन के पश्चात हुए गलत इंद्राज को अंकित नहीं किया गया उक्त इंद्राज का अंतरण किस अन्य पक्षकार के हक में हुआ यह भी स्पष्ट नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2022 को रेस्पो० संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व पक्षकारों को संयोजन किए जाने को स्वीकार कर एवं पक्षकारों को संयोजित कर नोटिस जारी किए गए के पश्चात दिनांक 11.12.2023 को रेस्पो० संख्या 1/वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 से पारित धारा 151 प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2023 को स्वीकार कर लिया जबकि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के पश्चात रेस्पोडेंट को विधि अनुसार पूर्ण नोटिस जारी किए जाने चाहिए थे। हनुमान पुत्र नानू का देहावसान 08.09.2001 को हो गया था एवं उसकी पत्नी चौका देवी का देहांत दिनांक 04.08.2016 को हो गया था जिनके कोई संतान न होने से अपीलान्ट व प्रफोर्मा रेस्पोडेंट उनके हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत वारिस होने से उक्त आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री को अपील के माध्यम से चुनौती दी गयी है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कहे गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थी व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपीलांट्स द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की द्वितीय श्रेणी के अनुसार हनुमान पुत्र नानू की खातेदारी आराजी में प्रार्थी व प्रफोर्मा रेस्पोडेंट का हित व अधिकार निहित होने से प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने बाबत कथन किए है।

अपीलांट द्वारा स्वयं को हनुमान पुत्र नानू का उत्तराधिकारी बताया गया है, परंतु पत्रावली पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किए गए सजरे अनुसार भोलू के दो संताने हुई चन्द्रा व नानू अपीलांट रूपा पुत्र चंद्रा के वारिस है, व हनुमान पुत्र चन्द्रा व रूपा पुत्र चन्द्रा दोनों भाई है। भोलू पुत्र नानू ना औलाद फौत हो गए तथा हनुमान पुत्र चन्द्रा भी नाऔलाद फौत हो गए।

अपीलांट द्वारा स्वयं को हनुमान पुत्र नानू का उत्तराधिकारी बताया गया है। परंतु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सजरे व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में कहीं पर भी हनुमान पुत्र नानू का अंकन नहीं है ना ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सजरे में कहीं बताया गया है, जबकि प्रस्तुत सजरे में नानू को नाऔलाद फौत बताया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2025 में हनुमान पुत्र नानू को प्रतिवादी संख्या 12 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाकर तामीली जरिए रजिस्टर्ड एडी की गई। जबकि अपीलांट द्वारा पत्रावली में मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि हनुमान पुत्र चन्द्रा का है। जिसके अनुसार हनुमान पुत्र चन्द्रा की मृत्यु दिनांक 08.09.2021 को होना अंकित है। इन समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट्स हनुमान पुत्र चन्द्रा के परिवार के सदस्य है, परंतु अपीलांट्स का हनुमान पुत्र नानू से क्या संबंध सरोकार है, यह वह

साबित कर पाने में विफल रहे हैं। चूंकि हनुमान पुत्र नानू व हनुमान पुत्र चन्द्रा दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं।

अपीलांट्स किस आधार पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा किए गए निर्णय से व्यथित हैं। उनके द्वारा ऐसे कोई राजस्व दस्तावेजात न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष पक्षकार ही नहीं थे तो किस आधार पर उनके हक अधिकार प्रभावित हो रहे है या वे उक्त आदेश से किस प्रकार पीडित है। चूंकि यह प्रार्थी पर निर्भर करता है कि यदि वह किसी प्रकार से पीडित है तो न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर अपना उपचार मांग सकता है परंतु अपीलांट के उक्त आराजीयात बाबत किस प्रकार से हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष यह साबित नहीं कर पाए है, केवल प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर अपीलांट को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है।

हमारे द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया।

2020 आर0बी0जे0 पेज 569

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908– धारा 96–: *जब अपीलांट यह बताने में असमर्थ रहे कि निर्णय का उन पर किस प्रकार से विपरीत प्रभाव पडेगा जिसके कारण से वह व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, व आदेश के खिलाफ अपील करने के अधिकारी है, अपीलांट व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते है इस कारण अपील करने के दिया गया उनका प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।*

अवलोकन किए जाने के पश्चात उक्त न्यायिक नजीर प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णरूप से चस्पा होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

अतः अपीलांट का प्रस्तुत अपील में किसी भी तरह से विधिक अधिकार नहीं होने से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी.खारिज कर उन्हें उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं कर अपील प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

7. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने से उक्त अपील भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 4/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर